

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 मई 2011—वैशाख 29, शक 1933

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मई 2011

क्र. एफ-14-17-2007-बयालीस-1.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011 है.
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में, उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);
 - (ख) “प्रवेश नियम 2008” से अभिप्रेत है, सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में (अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित करते हुए) प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति और स्थानों के आवंटन से संबंधित नियम;
 - (ग) “ए.आई.सी.टी.ई.” से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;
 - (घ) “सक्षम प्राधिकारी” का वही अर्थ होगा जो प्रवेश नियम, 2008 के नियम 2 के खण्ड (छ) में उसके लिए दिया गया है;

- (ड.) “पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है, कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्धति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित है तथा जिसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा उपाधि/पत्रोपाधि जैसे बी.ई.-इलेक्ट्रिकल, बी.ई., मैकेनिकल, एम.सी.ए., एम.बी.ए., डी फार्मा आदि पृथक् से प्रदान की गई है;
- (च) “सामान्य पूल” से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे हों और वहां इसका अर्थ होगा प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय और संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों वहां इसका अर्थ होगा प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान. सामान्य पूल के स्थानों में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों (क्रीमीलेयर को छोड़कर) की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उपलब्ध रहेगा.
- (छ) “संस्था प्रमुख” से अभिप्रेत है, संस्था का प्राचार्य/संचालक;
- (ज) “अर्हकारी परीक्षा” से अभिप्रेत है, ऐसी परीक्षा जिसके उत्तीर्ण करने से कोई व्यक्ति संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए हकदार हो जाता हो;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो प्रयुक्त की गई है, किन्तु इन विनियमों में परिभाषित नहीं की गई है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम और प्रवेश नियम, 2008 में उनके लिए दिया गया है.

3. **लागू होना**—ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जो एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं तथा जिनके माता या पिता अनिवासी भारतीय हों.

4. **स्थानों की उपलब्धता**—सहायता न पाने वाली उन निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में जिन्होंने कि इन स्थानों को भरने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण स्थानों के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होंगे, यदि वे उपलब्ध हों, ऐसे स्थानों के विरुद्ध प्रवेश दिए गए अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में संस्था/पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

5. **अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया**—(1) सक्षम प्राधिकारी अनिवासी भारतीयों के विरुद्ध प्रवेश के लिए ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित कर मेरिट क्रमानुसार केन्द्रीयकृत परामर्श (काउन्सिलिंग) संचालित करेगा. इन सीटों के लिये परामर्श (काउन्सिलिंग) की विस्तृत प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित की जाएगी.

(2) यदि अनिवासी भारतीय पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्त स्थान सामान्य पूल में संविलीन किये जायेंगे तथा प्रवेश नियम, 2008 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार भरे जाएंगे.

(3) अनिवासी भारतीय सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:—

- (क) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, यदि बोर्ड/विश्वविद्यालय, जिससे अभ्यर्थी ने अपनी अर्हकारी परीक्षा, ग्रेड पद्धति में उत्तीर्ण की है तो ग्रेड से प्रतिशत अंकों के संपरिवर्तन का फार्मूला लागू होगा. यह फार्मूला भारतीय दूतावास/उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा प्रमाणित होगा. अभ्यर्थी, जिसने भारत से भिन्न किसी देश से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उससे भारतीय दूतावास/भारतीय वाणिज्यिक दूतावास या भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम (एसोसिएशन), नई दिल्ली से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है कि उत्तीर्ण की गई परीक्षा भारतीय पद्धति की संबंधित अर्हकारी परीक्षा के समतुल्य है;
- (ख) राष्ट्रीयता का सबूत;
- (ग) भारतीय दूतावास से या उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास से, जहां अनिवासी भारतीय निवास कर रहे हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र कि अभ्यर्थी के माता या पिता अनिवासी भारतीय हैं; अथवा अनिवासी भारतीय के पासपोर्ट की मूल प्रति अथवा भारतीय दूतावास या उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा पासपोर्ट के संपूर्ण पृष्ठों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जहां अनिवासी भारतीय माता/पिता निवास कर रहे हैं;

- (घ) माता/पिता द्वारा अपने पुत्र/पुत्री को अनिवासी भारतीय श्रेणी में प्रायोजित किये जाने हेतु नोटरी द्वारा दिया गया शपथ-पत्र;
- (ङ) अभ्यर्थी द्वारा स्व अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ.

(4) सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों में अधिकथित मानदण्डों के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में दस्तावेजों को सत्यापित करेगा तथा उसे अपात्र अभ्यर्थियों का प्रवेश रद्द करने का प्राधिकार होगा. सक्षम प्राधिकारी अनिवासी भारतीय सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची सामान्य पूल की परामर्श (काउन्सिलिंग) प्रारंभ होने के पूर्व जारी करेगा.

6. **अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन.**—अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, अर्थात् अनिवासी भारतीयों के न भरे गये स्थान या वे स्थान जिनके विरुद्ध प्रवेश तो दिया गया किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा.

7. **प्रवेश का रद्द किया जाना**—सक्षम प्राधिकारी, अनिवासी भारतीय स्थानों के विरुद्ध प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच करेगा यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या संबद्ध तथ्यों को छुपाकर प्रवेश लिया है या प्रवेश के बाद किसी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रवेश किसी भूल या असावधानी के कारण दे दिया गया है तो उसके अध्ययन के दौरान ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश बिना कोई सूचना दिये संस्था प्रमुख या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा.

8. **शिक्षण तथा अन्य फीस.**—शिक्षण तथा अन्य फीस, प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति द्वारा विहित किए गये अनुसार होगी.

9. **फीस की वापसी.**—यदि अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तारीख के 07 दिन पूर्व अथवा सामान्य पूल की सीटों के लिये आयोजित केन्द्रीयकृत परामर्श (काउन्सिलिंग) की अंतिम तारीख के 07 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) तक अपना प्रवेश रद्द करवाता है, तो अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी हेतु निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत कटौती किया जाकर शेष जमा राशि वापिस कर दी जाएगी.

10. **निर्वचन.**—यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा.

11. **अधिकारिता.**—किसी विवाद की दशा में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश राज्य में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही परिसीमित होगी.

12. **निरसन और व्यावृत्ति**—(1) प्रवेश (अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2009 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं.

(2) उक्त विनियमों के निरसन के होते हुए भी, उक्त विनियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2011

क्र. एफ-14-17-2007-बयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th May, 2011

No. F-14-17-2007-XLII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government, hereby, makes the following regulations relating to the admission of non-resident Indian candidates in Private Unaided Professional Educational Institutions approved by the All India Council for Technical Education, namely :-

REGULATIONS

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Admission (Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011.

(2) It shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007)
- (b) “Admission Rules, 2008” means rules relating to the eligibility of admission, manner of admission and allocation of seats in private unaided professional educational institutions (including reservation of seats for non-resident Indian candidates);
- (c) “AICTE” means All Indian Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);
- (d) “Competent Authority” shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of rule 2 of the Admission Rules, 2008;
- (e) “Courses” means any course, the nomenclature of which is approved by the AICTE and for which a separate degree/diploma is awarded by any recognized University or Board or Institution like, B.E.-Electrical, B.E.-Mechanical, MCA, MBA, D. Pharma., etc;
- (f) “general pool” means 85% seats of the sanctioned intake per course, wherein the total sanctioned intake 5% seats are being filled up by non-resident Indian candidates and 10% seats under institutional preference category and it shall mean 95% of the sanctioned intake per course, wherein the total sanctioned intake 5% seats are being filled up by non-resident Indian candidates only, and when no admissions are being done under non-resident Indian and under institutional preference category, then it shall mean 100% of the sanctioned intake per course. In general pool seats, there shall be reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (excluding Creamy layer) category students for Madhya Pradesh domicile candidates as per Government notification.
- (g) “Head of Institution” means Principal / Director of the Institution;
- (h) “qualifying examination” means the examination, passing of which entitles one to seek admission into the relevant professional courses;

(2) The words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning as assigned to them in the Act and Admission Rules, 2008.

3. Applicability.—These regulations shall be applicable to such students who are seeking admission to professional courses as approved by AICTE and whose mother or father is non-resident Indian.

4. Availability of seats.— Up to 5% of sanctioned intake per course shall be available to non-resident Indian candidates only, if they are available, in those private unaided professional educational institution who have got approval of AICTE for filling the same. Candidates admitted against such seats will not be allowed to change institution / course in any circumstances.

5. Procedure of admission against non-resident Indian seats.— (1) The Competent Authority shall conduct the centralized counseling process inviting applications through online / offline method for admission in order of merit against non-resident Indian seats. Detailed counseling process for these seats will be declared by the Competent Authority.

(2) If sufficient number of non-resident Indian candidates are not available, then remaining vacant seats shall be merged into general pool and shall be filled as per the procedure laid down in Admission Rules, 2008.

(3) The eligible candidates interested in seeking admission against non-resident Indian seats, shall be required to submit following document to the Competent Authority :-

- (a) Mark sheet of qualifying examination. If the Board / University from which candidate has passed his qualifying examination award marks in grade system, then the formula for conversion of grade into percentage marks shall apply. This formula should be certified by Indian Embassy / Indian consulate of that country. Candidates who have passed the qualifying examination from a country other than India are required to submit a certificate from the Indian Embassy / Indian consulate or Association of Indian Universities, New Delhi to the effect that the examination passed is equivalent to respective qualifying examination of Indian system;
- (b) proof of nationality;
- (c) certificate from Indian Embassy or Indian consulate of the country where non-resident Indian is residing to the effect that father / mother is non-resident Indian, or original passport of non-resident Indian or true copy of pages of passport certified by Indian Embassy or Indian consulate of the country, where non-resident Indian mother / father is residing;
- (d) notarized affidavit of mother / father sponsoring their son / daughter under non-resident Indian category;
- (e) two passport size self attested photographs of the candidate.

(4) The Competent Authority shall verify the documents for eligibility of candidates as per stated norms as mentioned in the regulation and shall have the authority to cancel admission of non-eligible candidates. Competent Authority shall release the list of admitted candidates against non-resident Indian seats before commencement of counseling of general pool seats.

6. Conversion of vacant non-resident Indian seats.— Vacant non-resident Indian seats i.e. unfilled non-resident Indian seats or seats against which admission have been made but the candidate has not taken admission in the institution within stipulated time, shall be merged into general pool by competent authority and these seats shall be filled by competent authority as per the procedure adopted for general pool seats.

7. Cancellation of admission.— The competent authority shall check the eligibility of candidates seeking admission against non-resident Indian seats and shall be authorized to cancel admission of non-eligible candidates. If at any stage, it is found that a candidate has been admitted on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts or if at any time after admission it is found that the admission was given to the candidate due to some mistake or oversight, the admission granted to such a candidate shall liable to be cancelled forthwith without any notice at any time during the course of his studies, by the Head of the Institution or by Competent Authority.

8. Tuition and other fee.— Tuition and other fees shall be as prescribed by the Admission and Fee Regulation Committee.

9. **Refund of fee.**— If non-resident Indian candidate gets his admission cancelled before 7 days of last date of admission as declared by the Competent Authority or before 7 days of last date of centralized counseling (whichever is earlier), the balance deposited fee shall be refunded back after deducting 10% of the annual tuition fee fixed for the non-residential Indian seats.

10. **Interpretation.**— If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

11. **Jurisdiction.**— In case of any dispute the jurisdiction shall be limited to the courts constituted and situated in the State of Madhya Pradesh only.

12. **Repeal and savings.**— (1) The Admission (Reservation to non-resident Indian) Regulations, 2009 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said regulations, anything done or any action taken under the said regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these regulations.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHAMIM UDDIN, Addl. Secy.